भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2123

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

छत्तीसगढ़ में पंजीकृत कंपनियां

2123. श्री राधेश्याम राठिया:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में कितनी कंपनियां पंजीकृत हैं; और
(ख) कंपनियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी विशेष नीतियां कार्यान्वित की गई हैं अथवा क्या पहल की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): चालू वित्त वर्ष (1 अप्रैल, 2024 से आज की तारीख तक) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में निगमित कंपनियों की संख्या 993 है।

(ख) कम्पनियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें इस प्रकार हैः-

(i) केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सा.का.नि. 99 (अ) के माध्यम से 22.01.2016 को पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निगमन की ऑनलाइन प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए की गई थी।

(ii) व्यवसाय शुरू करने की लागत को कई पहलों के माध्यम से काफी कम कर दिया गया है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं: -

(क) 15,00,000 रुपये तक की प्राधिकृत पूंजी वाली सभी कंपनियों को शून्य शुल्क पर निगमित किया गया है।

(ख) स्पाइस (कंपनी के निगमन के लिए वेब प्ररूप) + ई एमओए (ई-मेमोरेंडम) + एओए (ई-आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) के साथ पैन और टैन अनुप्रयोगों का एकीकरण और स्पाइस में एकीकृत डीआईएन का आबंटन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआईसी), व्यावसायिक कर पंजीकरण प्रमाणपत्र (पीटीआरसी), व्यावसायिक कर नामांकन प्रमाणपत्र (पीटीईसी), दुकानें और स्थापना अधिनियम, जीएसटीआईएन ने लागत, समय और प्रक्रियाओं को कम कर दिया है।

(ग) कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 38 (2) में प्रावधान किया गया है कि एकल स्पाइस+ प्ररूप का उपयोग तीन निदेशकों तक निदेशक पहचान संख्या के आवंटन, के लिए आवेदन करने के लिए, नाम का आरक्षण, कंपनी का निगमन, एकल व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी, पब्लिक कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत आने वाली कंपनी के लिए प्रस्तावित निदेशकों की नियुक्ति के लिए किया जा सकता है।

(iii) व्यवसाय में सुगमता, अपराधों के वि-अपराधीकरण और अनुपालन अपेक्षाओं में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से लघु कंपनियों, एकल व्यक्ति की कंपनियों, स्टार्ट-अप और निर्माता कंपनियों के लिए वर्ष 2020 में कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन किए गए।

(iv) निजी कंपनियों, सरकारी कंपनियों, धर्मार्थ कंपनियों, निधि कंपनियों और आईएफएससी (गिफ्ट सिटी) कंपनियों को कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

****